सं.14/4/2016-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 05 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : निर्धारित चौथी बैठक (2016 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची की मदें अग्रेषित करने के संबंध में।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की 12 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने के लिए निर्धारित चौथी बैठक (2016 श्रृंखला) के लिए कार्यसूची की मदें की एक प्रति इसके साथ प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अपनी सुविधानुसार बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

ह0/-
(आदिता नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : aditya.n@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी** [**सदस्य (सीमाशुल्क)**], **वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी**]**सदस्य (आयकर)**], **वित्त मंत्रालय**
4. **महानिदेशक, विदेशी व्यापार महानिदेशालय**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि प्रेषित : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (एवीसी) के निजी सचिव/ निदेशक (टीवीआर) के निजी सहायक।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 12.08.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित बैठक की कार्यसूची

4.1(16) 22.06.2016 को आयोजित बीओए की तीसरी (2016 श्रृंखला) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

4.2(16) मैसर्स बेस्ट केम प्राइवेट लिमिटेड, वड़ोदरा – मौजूदा डीटीए इकाई का केएएसईजेड के तहत 100 प्रतिशत ईओयू में परिवर्तित करना।

मैसर्स बेस्ट वैल्यू केम प्राइवेट लिमिटेड वड़ोदरा ने सर्वेक्षण संख्या 306, शंकरदा भदरवा रोड, एटी एंड पीओ : मोक्सी, तालुका सावली जिला वड़ोदरा ने अपनी मौजूदा डीटीए इकाई के संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। यह कंपनी वर्तमान में विशेष परफ्यूमरी रसायनों के निर्माण में लगी हुई है जो फ्लेवर और फगरेंस में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इस कंपनी की दो विनिर्माण इकाइयां हैं : (1) गांव करखदी, तालुका पडरा, जिला वड़ोदरा, गुजरात और (2) गांव मोक्सी, तालुका सावली, जिला वड़ोदरा। कंपनी प्रस्तावित इकाई अर्थात सर्वेक्षण संख्या 306 में यूनिट-2, शंकरदा भदरवा रोड, एटी एंड पीओ : मोक्सी, तालुका सावली, जिला वड़ोदरा को सम्परिवर्तित करना चाहती है जहां विनिर्माण गतिविधियां 2012 से चल रही हैं।

यूनिट-2 से 2015-16 के दौरान निर्यात का एफओबी मूल्य 7431.45 लाख रुपये था जिसे अब ईओयू में से परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है। पी एंड एम में मौजूदा निवेश 261.54 लाख रुपये है। 5 वर्षों के लिए प्रक्षेपित एनएफई 21876.00 लाख रुपये है।

इकाई ने कच्चे माल के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार प्राप्त किया है और यह कंपनी द्वारा जमा किए गए के अनुसार लंबित हैं। कंपनी को ईओयू में लंबित निर्यात दायित्व अवधि का बढ़ाने एफटीएफ, 21015-2020 के एएनएफ और परिशिष्टों के परिशिष्ट 6 में यथा परिभाषित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इकाई के परिसर अर्थात सर्वेक्षणए संख्या 306, शंकरदा भरदवा रोड, एटी एंड पीओ : मोक्सी, तालुका सावली, जिला वड़ोदरा को आस्पेन सेज, वड़ोदरा के निर्दिष्ट अधिकारी श्री राकेश चौहान द्वारा सत्यापित किया गया है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह इकाई पहले से ही इस परिसर में डीटीए इकाई के रूप में कार्यरत है। यूनिट द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार यह 2007 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पंजीकृत है अर्थात 29 सीटीएच के तहत विभिन्न नामों के साथ अरोमा/स्वाद रसायन और यह कि उनके पास तैयार माल/कच्चे माल के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है। इसके अलावा, उनके पास घोषित वस्तुओं के निर्माण के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण स्थापित हैं और उनके पास पर्याप्त आदेश हैं।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान :

एफटीपी 2015-2010 के पैरा 6.07(डी), में प्रावधान है कि मौजूदा डीटीए इकाइयों, जिनका संयंद्ध और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये और ऊपर का व्यय हो या सालाना 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक रुपये का निर्यात जिनका ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में संपरिवर्तिन करने के लिए आवेदन को निर्णय के लिए बीओए के समक्ष रखा जाएगा।

4.3(16) मैसर्स ड्रीम प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे – सीप्ज के तहत मौजूदा डीटीए इकाई का ईओयू में सम्परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स ड्रीम प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिल्डिंग संख्या बी4-बी/सी, गाट संख्या 428, इंडोस्पेस रोहन इंडस्ट्रियल पार्क, ऑफ चकन तलेगांव रोड, ग्राम महलुंज इंगले, तालुका खेद, जिला पुणे -410 501 में प्लास्टिक के प्रोमोशनल खिलौनों के सामानों के निर्माण और निर्यात के लिए मौजूदा डीटीए यूनिट का ईओयू में सम्परिवर्तित के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त, पुणे चतुर्थ डिवीजन ने 12.05.2016 के अपने पत्र के तहत प्रस्तावित कारखाना परिसर की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सूचित किया है कि प्रस्तावित स्थाना 2014 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लीज आधार पर है। प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा धारा 58 और 65 के तहत जारी किए जाने के लिए परिसर/भवन आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है।

2015-16 के लिए इकाई का निर्यात कारोबार 69.79 करोड़ रुपये है और संयंत्र और मशीनरी में मौजूदा निवेश 24.50 करोड़ रुपये। अगले 5 वर्षों के लिए प्रक्षेपित एनएफई 20.57 करोड़ रुपये होगा।

मौजूदा क्षमता 240000000 संख्या है। डीटीए इकाई ईपीसीजी योजना के तहत अग्रिम लाइसेंस के दायित्व में है। कंपनी को ईपीसीजी योजना के तहत उत्कृष्ट निर्यात दायित्व के लिए एफटीपी 2015-2020 के एएनएफ और परिशिष्टों के परिशिष्ट 6एम में यथा परिभाषित प्रक्रिया का पालन करना है।

एफटीपी/एचबीपी के प्रावधान : विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.7(डी) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार :

"उन मौजूदा डीटीए इकाइयों में ईओय/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में रूपांतरण के लिए आवेदन, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का निवेश है या सालाना 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का निर्यात करती है, निर्णय के लिए बीओए के समक्ष रखा जाएगा।"

डीसी की सिफारिश : डीसी ने यूनिट के प्रस्ताव को सिफारिश की है क्योंकि यह ईओयू की स्थापना के लिए निर्धारित प्रावधानों को पूरा करती है।

4.4(16) मैसर्स वेंचर मेटल प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत एक ईओयू – एलओपी के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स वेंचर मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 19.05.2004 को एलओपी टेबल्ड रसोई, कॉफी मशीन और स्टेनलेस स्टील के बने अन्य घरेलू मदों के निर्माण और निर्यात के लिए 100 प्रतिशत ईओयू स्थापित करने के लिए जारी किया गया था। कंपनी ने 10.8.2004 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। चूंकि इकाई ने ईओयू योजना से बाहर निकलने का फैसला किया है इसलिए कंपनी को 11.08.2009 से 30.09.2013 (ब्लॉक वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई। इकाई को उक्त अवधि के दौरान सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि न हो पाने के कारण दिनांक 13.01.2014 के मूल आदेश के इाकई पर 50000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस कार्ड ने दिनांक 14.02.2014 के चालन कर दिया है।

चूंकि इस कंपनी को जारी किए गए एलओपी की वैधता 10.08.2014 को समाप्त हो गई है और यूनिट ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय को इस पर बकाया दयों की जानकारी देने और कंपनी को निकास आदेश जारी करने के लिए कहा गया। केंद्रीय

उत्पाद शुल्क कार्यालय ने 28.02.2016 के अपने उत्तर में बताया कि इकाई मैसर्स वेंचर मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2010 से निष्क्रिय रही है और इकाई को स्क्रैप की सटीक मात्रा का निर्धारण करने के लिए आयातित कच्चे काल का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। चूंकि विवरण कंपनी द्वारा प्रदान नहीं किए गए है, इसलिए वे जारी करने की स्थिति में "कुछ देय नहीं प्रमाणपत्र" देने में सक्षम नहीं थे।

उत्पाद के लिए अपशिष्ट मानदंडों के संशोधन के लिए कंपनी का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है जैसे कि केटल पॉट सहित कॉफी/चाय फिल्टर – क्षमता 2 कप और 8 कप को उनकी मानदंड समिति द्वारा 09.02.2016 की बैठक संख्या 22/81 में समिति द्वारा 48.12 प्रतिशत के रूप में तय किया गया था।

कंपनी ने अब ईओयू योजना के तहत जारी रखने का अनुरोध किया है क्योंकि 48.12 प्रतिशत के अपशिष्ट मानदंड उनके निर्यात बाजार के लिए व्यवहार्य है। उन्होंने उल्लेखनीय है कि उनकी एक अन्य और इकाई है जिसका नाम है मैसर्स एटलस मेटल प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड, वे पिछले दस वर्षों से ईओयू से निर्यात कर रहे है। पुनर्जीवित संचालन के एक हिस्से के रूप में, उन्होंने अब 2014-15 से 2008-19 तक पांच वर्षों के लिए एफई बैलेंस शीट जमा कर दी है। (एफई प्रवाह/आउट आंकड़े वर्ष 2014-15 और 2015-16 (वास्तविक) के लिए शून्य हैं और 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए अनुमान लगाए गए हैं) अनुमानन निम्नानुसार हैं :-

(लाख रुपयों में)

1.	**निर्यात का एफओबी मूल्य**	**4965**
2.	**मशीनरी का आयात**	**240**
3.	**कच्चे माल और घटकों का आयात**	**2679**
4.	**स्पेयर और उपभोज्य सामग्रियों का आयात**	**53**
5.	**विदेश यात्रा**	**37**
6.	**कुल एफई बहिर्वाह (2 से 5 का योग)**	**3309**
7.	**नेट विदेशी मुद्रा अर्जन (1-6)**	**1656**

इस कंपनी को दिनांक 10.08.2014 को जारी एलओपी की वैधता समाप्त हो गई है।

एफटीपी/एचबीपी के संगत प्रावधान :

एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01(i) के अनुसार, जहां इकाइयां अनुमोदन अवधि के पूरा होने के छह महीने बाद जारी रखने का अपना विकल्प देती हैं, डीसी बीओए की मंजूरी के बाद विस्तार प्रदान करेगा।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने 11.08.2014 से 10.08.2019 तक की तीसरी 5 वर्ष की अवधि के लिए एलओपी के नवीनीकरण के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

4.5(16) मैसर्स कार्तिक ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत एक ईओयू- एलओपी के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स कार्तिक ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू, को कट और पॉलिश ग्रेनाइट और अन्य सामग्री के निर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 14.12.2988 को एक एलओपी जारी किया गया

था। अंततः 31.03.2010 को उनके एलओपी को नवीनीकृत किया गया था। इस इकाई ने दिनांक 30.01.2014 को एलओपी की समाप्ति के 3 वर्ष और 10 महीने से अधिक का समय व्यतीत होने के पश्चात एलओपी का नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन किया। एमईपीजेड ने कुछ दस्तावेजों की मांग की और इकाई दिनांक 26.02.2014 को वह दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए।

एमईपीजेड द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त के संदर्भ में दिनांक 19.06.2015 के अपने पत्र के तहत निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

(i) **मैसर्स कार्तिक ग्रेनाइट्स ने वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के दौरान निर्यात करने के लिए वैध एलओपी के बिना 996.09 लाख रुपये का निर्यात किया था।**

(ii) **इकाई का केस्टम को वाष्डेड भांडारण लाइसेंस का दिनांक 31.12.2014 के लिए नवीनीकृत किया गया था और इसलिए इकाई को शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई। यूनिट ने फरवरी, 2015 तक ईआर 2 रिटर्न दाखिल कर दिया है।**

(iii) **इस इकाई ने कोई डीटीए बिक्री नहीं की है और उनका बी-17 बांड दिनांक 25.04.2016 तक मान्य था।**

बैध एलओपी के बिना निर्यात करने के लिए एफटीडीआर के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इस मामले को दिनांक 5.11.2015 के आदेश के अनुसार 12,000/-रुपये की राशि का भुगतान करने का न्यायनिर्णय किया गया। यूनिट ने राशि का भुगतान कर दिया है।

यूनिट ने ऑनलाइन एपीआर दर्ज करना जारी रखा और एलओपी की समाप्ति के बावजूद 2010 से 2015 की अवधि के दौरान सीए प्रमाणित प्रतियां भी जमा करता रहा। इस इकाई ने 11.4.2010 से 31.3.2015 तक ब्लॉक अवधि में 912.15 लाख रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया। 1.4.2015 से 31.03.2020 तक की 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए 1575.00 लाख रुपये के एफएफई का अनुमान लगाया गया।

एफटीपी/एचबीपी का प्रासंगिक प्रावधान :

एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01(i) के अनुसार, जहां इकाइयां अनुमोदन अवधि के पूरा होने के छह महीने के बाद जारी रखने का अपना विकल्प देती हैं, डीसी बीओए की मंजूरी के बाद विस्तार प्रदान करेगा।

डीसी की सिफारिश : 5 साल की 4वीं ब्लॉक अवधि अर्थात 2010-15 के लिए 5 साल की अगली ब्लॉक अवधि 2015-2020 एलओपी के नवीनीकरण के लिए यूनिट को अनुरोध पर डीसी, एमईपीजेड द्वारा सिफारिश की जाती है।

4.6(16) मैसर्स बीहाइव सॉफ्टवेयर सल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत एक ईओयू एलओपी की वैधता विस्तार के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स बीहाइव सॉफ्टवेयर सल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड को सिकंदराबाद में सॉफ्टवेयर विकास के निर्यात के लिए 100 प्रतिशत ईओयू स्थापित करने के लिए 26.11.20017 को एलओपी दिया गया था। इकाई ने 24.12.2007 को प्रचालन शुरू किया। एलओपी की वैधता दिनांक 23.12.2012 को समाप्त हो गई।

26.11.2007 के एलओपी के विस्तार की मांग न करने के लिए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कानूनी इंडेरटेकिंग के अनुलग्नक-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में 2007-08 आज की तारीख तक एपीआर जमा नहीं किया गया था। इकाई ने 19.08.2015 के अपने पत्र के माध्यम उल्लेख किया कि उन्होंने 31.03.2011 को सभी प्रासंगिक कागजात और दस्तावेज दायर कर दिए थे और बाद में उन्होंने पंजीकरण से बाहर निकलने की योजना बनाई थी। इसके बाद, उन्होंने अपना रुख बदल दिया और वे पंजीकरण जारी रखना चाहते थे और इस कारण वे आवश्यकतानुसार सभी दस्तावेज और कागजात जमा करने और फाइल करने के इच्छुक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जमा करने में देरी पूरी तरह से अनजान है। कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कायर्च के दबाव के कारण तथा उनके कार्यालय में जनशक्ति की कमी होने और साथ लेखा दल में परिवर्तन होने के कारण ही इस देरी का कारण है।

आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे बढ़ने के लिए वे भविष्य में मांगे गए सभी कागजात तुरंत फाइल फाइलिंग में देरी के लिए सभी करके और दाखिल करके इस कार्यालय के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे।

मैसर्स बीहाइव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने उनसे हुई चूक और देरी को माफ करने औरा उनके नवीनीकृत एलओपी का नवीकरण करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, इकाई ने 11.07.2016 के अपने पत्र के तहत 1,00,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया है जिससे किसी भी प्रकार की लंबी मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

ब्लॉक अवधि 2007-08 से 2014-15 के लिए यूनिट के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई और एनएफई पॉजिटिव पाया गया।

एफटीपी/एचबीपी के प्रासंगिक प्रावधान :

एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.0(i) के अनुसार, जहां कोई इकाई अनुमोदन अवधि के पूरा होने के छह महीने बाद जारी रखने का अपना विकल्प देती हैं वहां डीसी बीओए की मंजूरी के बाद विस्तार प्रदान करेगा।

डीसी की सिफारिश : चूंकि यूनिट का प्रदर्शन अच्छा रहा है और इकाई 100 प्रतिशत योजना के तहत जारी रखना चाहती हैं और यूनिट ने पांच वर्ष के अगले ब्लॉक के लिए अच्छे अनुमान प्रस्तुत किए हैं इसलिए डीसी ने 5 साल के अगले ब्लॉक 24.12.2012 से 23.12.2017 तक अपने एलओपी के विस्तार के लिए इकाई के अनुरोध की सिफारिश की है।

4.7(16) मैसर्स यूनिमिन इंडिया लिमिटेड, एसईईपीजेड के तहत एक ईओयू – अगले पांच वर्षों के लिए एलओपी के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स यूनिमिन इंडिया लिमिटेड, दमन और गैर बुना स्पन बांडेड पॉलिमर फेब्रिक्स और उसके उत्पादों, पीपी गैर बुने हुए कपड़े, पीपी आदि नॉन वोवेन कोरेड फेब्रिक्स आदि के निर्माण और निर्यात के लिए 10.07.1996 को एलओपी जारी किया गया था।

21.02.2007 के आदेश के तहत बीआईएफआर ने इस कंपनी को बीमार औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित कर दिया। इसके अलावा, 05.03.2012 के आदेश के अनुसार बीआईएफआर ने पांच वर्ष की अवधि के लिए एलओपी और ग्रीन कार्ड की वैधता के विस्तार के लिए यूनिट के आवेदन पर विचार

करने का निर्देश दिया। बीआईएफआर की निदेशदार एलओपी की वैधता के विस्तार के लिए यूनिट के प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समाक्ष रखा गया। 14.09.2012 को आयोजित बैठक में बीओई ने इस आवेदन पर विचार किया। बीओए का निर्णय निम्नानुसार है :

"बीओए ने 13.03.2012 की बैठक में एलओपी के नवीनीकरण के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया जो कि बीआईएफआर के तहत पंजीकृत है, इस बैठक में यह निणय लिया गया कि मार्च, 2010 के बाद यूनिट के एलओपी के विस्तार को बीआईएफआर द्वारा घोषित एक पुनरुद्धार पैकेज की सुविधा के अध्यधीन मंजूरी दे दी गई है, को देखते हुए बोर्ड ने पाया कि बीआईएफआर द्वारा पुनरुद्धारा पैकेज प्रक्रिया के अधीन है और एलओपी के विस्तार और ग्रीन कार्ड जारी करने की अनुमति देने के लिए इकाई के अनुरोध पर विचार किया ताकि वे तुरंत दूसरे ईओयू के लिए नौकरी के काम के माध्यम से अपने प्रचालन को फिर से शुरू कर सकें। डीसी, एसईईपीजेड ने इस शर्त पर इस प्रस्ताव की सिफारिश की कि इकाई को कच्चे माल या सामान के किसी और आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने तदनुसार यूनिट के एलओपी की वैधता और ग्रीन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को तत्काल इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि इकाई को तब तक कोई आयात नहीं करने दिया जाएगा जब तक वह सकारात्मक एनएफई मानदंडों को पूरा न कर ले।"

तदनुसार 01.04.2010 से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए इस इकाई को 19.10.2012 को एलओपी की वैधता का विस्तार कर दिया गया।

वर्तमान में यह यूनिट ईओयू कंपनी के लिए नौकरी के काम के आधार पर संचालन में है और इसने दिनांक 14.11.2012 से अब तक गैर बुने हुए कपड़े के 2202 मीट्रिक टन उत्पाद का उत्पादन कर लिया और उक्त ईओयू कंपनी तैयार उत्पादों का निर्यात कर रही है।

यूनिट ने मैसर्स अतिश्य टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार टेक्नो इकोनॉमिक वैबिलिटी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और उल्लेख किया है कि रिपोर्ट ने कंपनी के पिछले प्रदर्शन और भविष्य की व्यवहार्यता को स्पष्ट रूप से इंगित किया है।

इकाई ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी की योजना की पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) (ओए) द्वारा जांच की गई है और बीएफआईआर को सौंपी गई है, जिसमें तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की सिफारिश की गई है और इसे एसबीआई (ओए) उनके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के लिए पहले ही जमा कर दिया गया है। डीआरएस परिसंचरण के उन्नत चरण में है। इसलिए, कंपनी पहले से ही पुनरुद्वार पथ पर है।

इकाई ने आगे कहा है कि 05.03.2012 को बीआईएफआर आदेश के अनुसरण में 5 साल की अवधि (01.04.2010 से 31.03.2015 की वैधता) के लिए दिनांक 09.10.2012 को एलओपी और ग्रीन कार्ड जारी किया गया था, हालांकि वे इसका लाभ उठा केवल 2.1/2 (ढ़ाई) वर्ष के लिए ही उठा सके।

एचबीपी के पैरा 6.3.9 के अनुसार, "रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्वार बशर्ते कि इकाई को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रुग्ण घोषित किया गया हो, इकाई के पुनरुद्वार के प्रस्ताव या उस टेक-ओवर के प्रस्ताव पर बीओए द्वारा विचार किया जा सकता है। रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्वार पर दिशानिर्देश परिशिष्ट 6ए परिशिष्ट और एएनएफ में दिए गए हैं"।

इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट के रूप में - 6 एल पैरा 1" प्रचालनों की समीखा (i) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रुग्ण घोषित की गई किसी इकाई को विचार और अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड से संबद्ध विकास आयुक्त के माध्यम से एक पुनरुद्वार पैकेज जमा करना होगा।

बोर्ड निम्नलिखित पर विचार करेगा :-

(क) ईओयू योजना के प्रचलित मानदंडों पर अधिकतम 5 वर्षों तक आगे की अवधि के लिए एनएफई को पूरा करने की अवधि में विस्तार।

(ख) उक्त अवधि के विस्तार पर, उपयुक्त कच्चे माल और आयातित/घरेलू रूप से प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं को उनके मूल मूल्य पर आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) विस्तार प्रदान करने पर, इकाई द्वारा निष्पादित एलयूटी उपयुक्त रूप से संशोधित की जाएगी"।

पुनरुद्वार पैकेज अभी तक इकाई द्वारा सीप्ज को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, डीसी, एसईईपीजेड ने 06.10.2015 को इकाई को सूचित किया कि इस चरण में ईओयू स्थिति जारी रखने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

इस कार्यालय के फैसले से पीड़ित इकाई ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष एमआईएससी आवेदन संख्या 399/2015 दायर किया। 01.06.2016 को आयोजित सुनवाई में बीआईएफआर ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए :-

(क) एसआईसीए की धारा 33 के अनुसार बोर्ड को तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित करने के लिए अधिकार दिया गया है और यह भी उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। चूंकि यह अपराध विकास आयुक्त द्वारा किया गया है, इसलिए प्रभार को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसे तद्नुसार दंडित किया जाएगा। कारण यह स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका उत्तर 15 दिनों के अंदर देना है कि उनके विरुद्ध जिसका 1985 की धारा 34 के साथ पठित द्वारा 33 के अंतर्गत कार्रवाई क्यों न की जाए।

(ख) कंपनी फिर से एक सप्ताह की अवधि के भीतर विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को एमए संख्या 399/2015 की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी और बोर्ड को यह नोटिस दिए जाने का प्रमाण जमा करेगी।

(ग) विकास आयुक्त, एसईईपीजेड दो हफ्तों की अवधि के भीतर एमए का जबाव देना और उसकी प्रतिलिपि कंपनी को भेजेगा।

इस कार्यालय ने बीआईएफआर के समक्ष एक शपथ पत्र दायर किया और बीआईएफआर के समक्ष दिनांक 30.06.2015 को सुनवाई में भाग लिया। बीआईएफआर को सूचित किया गया कि बीओए ने दिनांक 13.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में एलओपी के नवीनीकरण के लिए कंपनी के अनुरोध पर विचार किया है, जिसमें निर्णय लिया गया था कि मार्च 2010 से आगे कंपनी के एलओपी के विस्तार को पांच वर्ष के लिए मंजूरी दे दी जाएगी ताकि बीआईएफआर द्वारा घोषित एक पुनरुद्वार पैकेज को सुकर बनाया जा सके। कंपनी को दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2015 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए एलओपी और ग्रीन कार्ड की वैधता के विस्तार की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, कंपनी ने एलओपी और ग्रीन कार्ड के विस्तार के लिए पुन: अनुरोध किया जिसे यह कहते हुए नामंजूर कर दिया गया कि बीआईएफआर द्वारा घोषित पुनरुद्वार पैकेज की घोषणा की सुलमता के लिए

अनुमोदन बोर्ड ने 5 वर्ष के लिए एलओपी का विस्तार कर दिया। यह अवधि समाप्त हो गई है और डीआरएस को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। एलओपी की वैधता का नवीनीकरण निरंतरता में होना चाहिए। नीति के पैरा 6.6(ए) के संदर्भ में दो ब्लॉक अवधि के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता। यह भी उल्लेख किया गया है कि पॉलिसी के अनुसार 2010 से 2015 तक कंपनी को दी गई एलओपी और ग्रीन कार्ड का विस्तार नहीं दिया जा सकता उससे यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें बीआईएफआर दिनांक 05.03.2012 के निर्देशों को अनुपालन का उल्लंघन हुआ।

बीआईएफआर ने एमए संख्या 399/2015 का निपटारा कर दिया है और निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :-

(क) 2015-2020 ब्लॉक अवधि के लिए अनुमति पत्र और ग्रीन कार्ड की वैधता के विस्तार के लिए कंपनी के आवेदन पर एसईईपीजेड विकास आयुक्त आवेदन करेंगे।

(ख) एसईईपीजेड को 01.06.2016 को जारी कारण बताओ नोटिस समाप्त कर दिया गया।

(ग) प्रारंभिक परिसंचरण के लिए एसबीआई (ओए) द्वारा प्रस्तुत डीआरएस की बोर्ड का कार्यालय जांच करेगा।

ब्लॉक अवधि 2010-11 से 2014-15 के लिए एनएफई 292 लाख रुपये है और 2015-16 और 2019-20 के अनुमानित एनएफई 3426 लाख रुपये है।

डीसी की सिफारिश : ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बीओए के विचार के लिए 2015/2020 की आगे ब्लॉक अवधि के लिए एलओपी जारी रखने के लिए इकाई का प्रस्ताव अनुशंसित है।

4.8(16) मैसर्स सॉलर लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत एक ईओयू – एनएफई गणना अवधि में पांच वर्ष के पहले ब्लॉक से 10 वर्ष के ब्लॉक के लिए छूट के लिए प्रस्ताव लिए।

सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं और मॉड्यूल के निर्माण और निर्यात के लिए इस इकाई को 15 अक्त्ूबर, 2008 को डीसी एनएसईजेड द्वारा एलओपी दिया गया था। यूनिट ने 16.07.2009 से उत्पादन शुरू किया। 5 वर्श के संचालन के अंत इसमें यूनिट नकारात्मक एनएसई 110.20 करोड़ रुपय था। इसलिए 17.06.2014 के पत्र के तहत एससीएन जारी किया गया था। बीओए ने दिनांक 21.04.2014 को आयोजित बैठक में 31.03.2003 की अधिसूचना संख्या 5/2003 कस के अनुसार कर्तव्यों और जुर्माना के भुगतान के अधीन 15.07.2014 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी और कि एलओपी के विस्तार से केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों की वसूली कार्यवाही पर प्रतिकूल असर नहीं होगा।

एनएसईजेड ने पहली ब्लॉक अवधि में ईओ की पूर्ति न होने के लिए एससीएन जारी किया, इस मामले का न्याय निर्णयन किया गया और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इकाई ने इस आदेश के खिलाफ अपील नहीं की और जुर्माना अदा कर दिया। इकाई के एलओपी को दूसर ब्लॉक के लिए बढ़ा दिया गया।

अब इकाई ने एनएफई की पूर्ति के लिए अनुमोदन बोर्ड से 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए विस्तार की मांग की है। उन्होंने उद्धृत किया है परिशिष्ट 6 एल के पैरा 1.i.क के अनुसार उन्होंने अपने अनुरोध के समर्थन में किया कि बोर्ड "ईओयू योजना के प्रचलित मानदंडों के आधार पर अधिकतम 5 वर्षों तक आगे की अवधि के लिए एनएफई की पूर्ति के लिए विस्तार" पर विचार करेगा। हालांकि,

परिशिष्ट 6 एल केवल उन इकाइयों पर लागू हैं जिन्हें रुग्ण घोषित किया गया है। यद्यपि यूनिट ने बीआईएफआर को एसआईसीए 1985 की धारा 15(1) के तहत संदर्भ दायर किया लेकिन बीआईएफआर द्वारा इकाई के आवेदन को 03.03.2015 के पत्र के तहत अस्वीकार कर दिया क्योंकि कंपनी द्वारा उत्पादित आइटम "सौर फोटोवोल्टिक सेल" फार्म-ए में दिए गए के अनुरूप नहीं है और इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 1951 के पहले शेड्यूल में शामिल नहीं है।"

इकाई का निर्यात निष्पादन :

वर्ष	टर्न-ओवर (करोड़)
2009-10	112.52
2010-11	543.40
2011-12	81.34
2012-13	53.13
2013-14	15.39
2014-15	288.33
2015-16	258.84

उदाहरण : मैसर्स इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के मामले में, बीओए ने इसी तरह के संशोधन किए थे। 03 जून, 2008 को इस मामले में अनुमोदन बोर्ड की आयोजित बैठक में किए गए संशोर्धन निम्नलिखित हैं :-

"2.27(8) मैसर्स इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड – बीआईएफआर द्वारा शासित रुग्ण इकाई के पुनरुद्वार के संबंध में :

बोर्ड ने एनएफई की पूर्ति की अवधि निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाने का फैसला किया :

(i) ***इस तरह के किसी भी विस्तार को प्रभावित करने से पहले यूनिट शुल्क मुक्त आयात/कच्चे माल, घटकों, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद से उस शुल्क के भुगतान की तारीख तक शुल्कों और ब्याज का भुगतान करेगा, जिनका उन्होंने उपयोग किया है।***

(ii) ***अवधि के विस्तार पर, अप्रयुक्त कच्चे माल और आयातित/घरेलू रूप से प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं को उनके मूल मूल्य पर आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने 2.00 करोड़ रुपये की अग्रिम डीटीए की बिक्री को भी मंजूरी दे दी और सभी लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए डीसी, एनएसईजेड निर्देशित आदि।"***

चूंकि इकाई ने लगाई गई शर्तों के खिलाफ अभ्यावेदन किया था, इसलिए इसे 29.08.2008 की बैठक में बीओए द्वारा निम्नवत संशोधित किया गया था।

"3.24(08) मैसर्स इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बीआईएफआर द्वारा शासित रुग्ण इकाई का पुनरुद्वार।

बोर्ड ने इस शर्त के अधीन इकाई के अनुरोध की मंजूरी देने का फैसला किया कि यदि कंपनी पांच (05) वर्षों की इस विस्तारित अवधि के दौरान भी आवश्यक निर्यात दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहती है, तो कंपनी को बीआईएफआर के दिनांक 26.08.2008 के आदेश संख्या 165/2004 के संदर्भ

में अगले पांच (05) वर्षों के दौरान निर्यात दायित्व की कमी के संबंध में और/या उनके द्वारा विगत में किए गए "शुल्क मुक्त आयात' के संबंध में "आयात शुल्क" का भुगतान करना होगा।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने अनुशंसा की कि बीओए, डीजीएफटी और डीजीईपी के परामर्श से 31.03.2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सीयूएस के तहत कर्तव्यों/अर्थदंड के भुगतान के संबंध में 21.04.2014 को आयोजित बैठक में लगाई गई शर्त को संशोधित करने पर विचार कर सकता है। बोर्ड उपरोक्त शर्तों को वापस लेने पर विचार कर सकता है और एक नई शर्त लगा सकता है कि अगर इकाई पहली अवधि की ब्लॉक अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए शुल्क मुक्त आयात कमी के संबंध में पांच वर्ष की अवधि के दूसरे ब्लॉक वर्ष 5 साल के दूसरे ब्लॉक में एनएफई हासिल करने में असमर्थ रहती है, तो इकाई दिनांक 31.03.2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003 के अनुसार कर्तव्यों और अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। यूनिट परिशिष्ट 6एल की शर्त को पूरा नहीं करती है क्योंकि इस रुग्ण घोषित नहीं किया गया है। लेकिन इसके कारणों को बीआईएफआर ने 03.03.2015 के पत्र के अनुसार ऊपर बताया है। इसके मद्देनजर, एनएसईजेड इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है। इसके लिए परिशिष्ट 6एल में दिए गए प्रावधानों में छूट की आवश्यकता हो सकती है।

भाग-II

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	अप्रैल, 2016 से जून, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	के ए एस ई जेड
ख	जून, 2016 से 8 जुलाई, 2016 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	वी एस ई जेड
ग	जून, 2016 के महीने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन – शून्य	एफ एस ई जेड
घ	मार्च, 2016 से अप्रैल, 2016 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एम एस ई जेड